न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
50/2018/प्रा.पत्र/2018	16.08.2018	28.02.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1.श्री सीताराम विजय पुत्र रामनिवास विजय जाति ब्राहमण निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोक जिला टोंक एफ.बी.बो. मैसर्स लक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज0

2. मैसर्स लक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक **28.02.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2018 को समय 3.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स लक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. सीताराम विजय एफ.बी.ओ मैसर्स मैसर्स लक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में **घी** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सीताराम विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सीताराम विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में स्टील की एक टंकी मे लगभग 10 किलो **घी** रखा था। वास्ते आम जनता को विक्रय हेतू रखे हुये मे से पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील के जग मे 800 ग्राम घी वेंईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सीताराम विजय को रू0 220/–अक्षरे दो सो बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **घी** 800 ग्राम के चार भाग 200–200 ग्राम के तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग चार साफ व सूखी कांच की शिशियो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1880 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1880 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सीताराम विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/391 दिनांक 02.04..2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/161/एक्ट/2018/166 दिनांक 26.03.2018 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 27.07.2018 अनुसार सीताराम विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) **(zz) (iv)** के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का **घी** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी** का नमूना जांच में **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया, गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सीताराम विजय पुत्र रामनिवास विजय जाति ब्राहमण निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोक जिला टोंक एफ.बी.बो. मैसर्स लक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज0 पर शास्ती 11,000/– (अक्षरे ग्यारहा हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.02.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0

Scanned by CamScanner